

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

कमांक एफ () / चि.स्वा. / आरोग्य राजस्थान / 2015 / 09

दिनांक 28/9/15

समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान

विषय:- राज्य में आरोग्य राजस्थान के प्रभावी क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 121- आरोग्य राजस्थान के प्रभावी क्रियान्विति व मार्ग दर्शन हेतु कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्न प्रपत्र/दस्तावेज संलग्न हैं -

1. आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र
2. रोगी जॉच हैल्थ कार्ड (हैल्थ कैम्प हेतु)
3. व्यक्तिगत हैल्थ कार्ड
4. आरोग्य राजस्थान मार्गदर्शिका
5. आरोग्य राजस्थान संचालन की प्रस्तावित क्रियान्विति की समय सारणी व चार्ट (Flow chart)
6. आरोग्य राजस्थान मॉनेटरिंग प्रपत्र

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान अभियान हेतु आपके जिले से सम्बन्धित निम्न सूचनाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता को आरोग्य राजस्थान की ई-मेल आईडी arogya.rajasthan@gmail.com पर दिनांक 22.09.2015 तक संलग्न प्रपत्रानुसार आवश्यक रूप से भिजवायी जानी थी परन्तु खेद है कि उक्त सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिले में आरोग्य राजस्थान की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु उक्त सूचना दिनांक 29.09.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न प्रपत्रानुसार जिले में ब्लॉकवार ग्राम पंचायतों की संख्या, जिले में ब्लॉकवार ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पो का दिनांकवार कैम्प आयोजन का निर्धारण, ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्प में संभावित प्रतिभागियों की संख्या, जिले में ब्लॉकवार परिवारों की संख्या।

समस्त जिला कलेक्टर प्राथमिकता से अपने जिले में आरोग्य राजस्थान योजना संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र राज्य स्तर पर प्रिन्टिंग प्रोसेस में हैं। स्वास्थ्य सर्वे प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त सर्वे प्रपत्र जिला स्तर पर भिजवा दिये जायेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डा. नीरज के. पवन)

संयुक्त शासन सचिव (चि.व स्वा.) व
अति. मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. व मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व अति. मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निदेशक, जन-स्वास्थ्य।
6. निदेशक आरसीएच।
7. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्यालय।
8. नोडल अधिकारी (आरोग्य राजस्थान) मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त जिला उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
13. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक राजस्थान। सर्वर रूम।

संयुक्त शासन सचिव (चि.व स्वा.)
व अति. मिशन निदेशक (एनएचएम)



सत्यमेव जयते

आरोग्य राजस्थान मार्गदर्शिका

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 121-आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत Universalization of Health Care की दिशा में नई सोच के साथ प्रदेश में दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक आरोग्य राजस्थान अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार कैम्प लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करवाई जायेगी एवं इसे भामाशाह कार्ड से जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का Health Card बनाया जायेगा। इससे Health Information Network तैयार किया जायेगा। इस Data base के आधार पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के निःशुल्क ईलाज की व्यवस्था की जायेगी।

आरोग्य राजस्थान योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक ढांचा

- राज्य स्तर- आरोग्य राजस्थान का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। राज्य स्तर पर संयुक्त शासन सचिव (चिकित्सा व स्वास्थ्य), अति. मिशन निदेशक (एनएचएम) व निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रभारी अधिकारी हैं।
- जिला स्तर-
 1. जिला कलेक्टर-जिला आरोग्य राजस्थान प्रबंधक
 2. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - जिला प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान
 3. जिला उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वास्थ्य)-जिला नोडल अधिकारी आरोग्य राजस्थान
- ब्लाक स्तर-ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी - ब्लाक प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान
- पीएचसी/सीएचसी स्तर - चिकित्सा अधिकारी प्रभारी - पीएचसी/सीएचसी तथा उसके अधीनस्थ आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी आरोग्य राजस्थान होगा।
- जिला स्तर से स्वास्थ्य कैम्प हेतु नियुक्त चिकित्सा अधिकारी ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प का प्रभारी अधिकारी तथा स्वास्थ्य कैम्प के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

स्वस्थ राजस्थान की

ओर बढ़ते कदम.....



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान

आरोग्य राजस्थान

1. प्रथम चरण –

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान : 01.10.2015 से 20.11.2015

आशा सहयोगिनियों के कार्य–

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 121–आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत प्रदेश में दिनांक 01.10.2015 से 20.11.2015 तक आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान संचालित किया जायेगा।
- आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे ग्राम स्तर पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों द्वारा सम्पन्न करवाया जायेगा।
- आशा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर परिवार के मुखिया (परिवार के मुखिया का नाम भामाशाह कार्ड के अनुसार लिखना है यदि भामाशाह कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के अनुसार लिखें) तथा उसके परिवार के सदस्यों की सामान्य जानकारी एवं ग्रसित बीमारियों की जानकारी (प्रपत्र में अंकित बीमारियों/बीमारियों के लक्षणों के कोड के अनुसार) आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे परिवार प्रपत्र में अंकित की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित है तो ग्रसित बीमारियों के कॉलम में उसीके अनुरूप समस्त बीमारियों के कोड लिखें।
- यदि किसी व्यक्ति को अभी आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और उसका आधार कार्ड बनना प्रक्रियधीन है तो उसका एनरोलमेन्ट नम्बर (Enrolment ID No.) सर्वे प्रपत्र के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिख कर उसके सामने लिखें।
- सम्बन्धित परिवार को आरोग्य राजस्थान योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य कैंम्पो में लोगो के स्वास्थ्य की जाँच, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा इलाज की निःशुल्क व्यवस्था, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से बनाये जाने वाले हैल्थ कार्ड, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगी तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के आई0 ई0 सी0 ब्यूरो0 द्वारा छपवाये गए लीफलेट देते हुए बीमा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी परिवारों को अवगत करवायेगी।
- भरे हुए स्वास्थ्य सर्वे परिवार प्रपत्र अपने क्षेत्र की एएनएम को प्रत्येक सप्ताह सोमवार को प्रस्तुत करेगी।
- आशा द्वारा फार्म भरने के पश्चात परिवार के सदस्यों को सूचित करेगी कि योजना का लाभ लेने हेतु आप अपनी स्वास्थ्य की जांच नजदीकी पीएचसी/सीएचसी पर सर्वे प्रपत्र भरने की दिनांक से 15 दिन के पश्चात करवाकर अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें।
- जिन व्यक्तियों के भामाशाह कार्ड नहीं बने हैं उनको आशा भामाशाह कार्ड बनाने की प्रक्रिया तथा उसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बतायेगी तथा योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड बनाने हेतु प्रेरित तथा सहयोग करेगी।
- यदि परिवार में गर्भवती महिला है तो उसकी सूचना प्रपत्र के क्रम संख्या 11 में अंकित करनी है तथा उसका मॉनिटरिंग प्रपत्र अवश्यक रूप से भरकर अपने क्षेत्र की एएनएम को दें।

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम की क्रियान्विति में एएनएम के कार्य–

- आशा द्वारा भरे हुए आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र आशाओं से प्रति सप्ताह सोमवार को प्राप्त करेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आशाओं को आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र में सही सूचना दर्ज करने में आशाओं को पूर्ण जानकारी देगी तथा प्रपत्र भरने में सहायता करेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र की आशाओं से प्राप्त आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र इकजाई कर ई–मित्र कियोस्क से परिवार मुखिया की व्यक्तिगत सूचना मय पहचान (आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र बिन्दु संख्या 01 से 10 तक की सूचना) ऑनलाइन सीडिंग (डेटा फीडिंग) 7 दिन में आवश्यक रूप से पूर्ण करवायेगी तथा आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र की ऑनलाइन सीडिंग करने के पश्चात एएनएम उक्त प्रपत्र संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर भिजवायेगी।

- ई-मित्र कियोस्क से प्राप्त चैकलिस्ट को प्रमाणित करने के पश्चात ही एएनएम आशाओं को स्वास्थ्य सर्वे के मानदेय का भुगतान करेगी
- किसी व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा जाँच की आवश्यकता है तथा उस व्यक्ति द्वारा योजना के दौरान पीएचसी/सीएचसी पर अपने स्वास्थ्य की जांच नहीं करवाई है तो ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी तथा उन्हें ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प के लिए स्थान एवं दिनांक से अवगत करवायेगी।
- संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर जिन व्यक्तियों की योजना के तहत स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है उन व्यक्तियों के आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र मय रोगी जांच हेल्थ कार्ड प्राप्त करेगी तथा उक्त सूचना के अनुसार ई-मित्र कियोस्क पर स्वास्थ्य डेटा में संशोधन करवाया जायेगा तथा रिकार्ड को अपने स्वास्थ्य केन्द्र पर व्यवस्थित रखेगी।
- एएनएम अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में उपस्थित रहेगी तथा कैम्प में उसको दी गई जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करेगी।
- आरोग्य राजस्थान योजना की मॉनिटरिंग प्रपत्रों के अनुसार नियमित साप्ताहिक सूचना सम्बन्धित पीएचसी/सीएचसी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को भेजना।

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम की क्रियान्विति में पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारियों के कार्य-

- पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आरोग्य राजस्थान योजना का पीएचसी/सीएचसी तथा उसके अधीनस्थ आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रभारी अधिकारी होगा। आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम से सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की होगी।
- पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे।
- पीएचसी/सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पीएचसी/सीएचसी तथा उसके अधीनस्थ क्षेत्र में आने वाले उग्र स्वास्थ्य केन्द्रों पर आशाओं द्वारा किये जा रहे आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे, एएनएम द्वारा ई-मित्र कियोस्क पर परिवार के मुखिया की व्यक्तिगत सूचना मय पहचान (आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र बिन्दु संख्या 01 से 10 तक की सूचना) ऑनलाइन सीडिंग की साप्ताहिक मॉनिटरिंग व सूचना सम्बन्धित बीसीएमओ को भेजना। एएनएम द्वारा आशाओं को स्वास्थ्य सर्वे के मानदेय का भुगतान की साप्ताहिक मॉनिटरिंग।
- पीएचसी/सीएचसी पर योजना के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यक्तियों का हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन की जांच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिकल सिस्टम के आधार पर ब्लड शूगर, ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी एवं उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी में ईलाज किया जायेगा एवं उसको एक कार्ड जारी किया जायेगा जिसमें उसका हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन की जांच आदि का उल्लेख होगा। पहचान की गई बीमारी के ईलाज के लिए आवश्यकता अनुसार चिह्नित उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा चिह्नित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जायेगा। यदि परिवार मुखिया व परिवार सदस्यों के सामने अंकित बीमारी की क्लिनिकल सिस्टम की पूछताछ के आधार पर चिकित्सक बीमारी की पहचान नहीं कर पाता है तो चिकित्सक द्वारा उक्त व्यक्ति को जिले में स्थित एफआरयू/डीएच/ मेडिकल कॉलेज अथवा चिह्नित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर कर संदर्भित बीमारी की जांच एवं ईलाज करवाया जायेगा जिसके लिए पीएचसी/सीएचसी में चिकित्सक प्रिन्टेड रोगी जांच हेल्थ कार्ड मय हस्ताक्षर जारी करेगा।
- पीएचसी/सीएचसी पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अपने क्षेत्र की एएनएम से उन बीमार व्यक्तियों की सूची प्राप्त करेंगे जिन्होंने योजना के तहत अपने स्वास्थ्य की जांच पीएचसी/सीएचसी अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान पर नहीं करवायी है तथा वे किसी बीमारी से ग्रसित हैं तथा उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थानों पर ईलाज की आवश्यकता है। यह सूची चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्पों की इकजाई सूची तैयार कर जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें तथा उसके अनुसार ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प की व्यवस्था करेंगे।
- जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य कैम्प का प्रभारी अधिकारी होगा तथा उक्त चिकित्सा अधिकारी की स्वास्थ्य कैम्प के संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

- ग्राम पंचायत पर स्थित पीएचसी/सीएचसी में पद स्थापित आयुष चिकित्सक की ड्यूटी भी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी।

2.द्वितीय चरण

स्वास्थ्य कैम्प-

ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन : 01.12.2015 से 31.03.2016

- माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में आरोग्य राजस्थान योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार 01.12.2015 से 31.03.2016 तक स्वास्थ्य कैम्प लगाये जायेंगे।
- स्वास्थ्य कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नहीं होने पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्रों/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
- पीएचसी/सीएचसी पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की सेवाएँ ली जायेगी।
- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नहीं होने पर, जो स्वास्थ्य कैम्प पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्रों/ उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किये जायेंगे, उनके लिए भी आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों की सेवाएँ ली जा सकती हैं।
- स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन जिला/ब्लाक स्तर से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी तथा पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी।
- स्वास्थ्य कैम्पों में पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी पास की ग्राम पंचायत, जहाँ पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नहीं है, लगाई जायेगी।
- पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित आयुष चिकित्सक की ड्यूटी भी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी। यदि आयुष चिकित्सक नहीं है तो अन्य चिकित्सक की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्पों में लगाई जायेगी।
- स्वास्थ्य कैम्पों में रोगों से बचाव, उचित खान पान व रहन सहन के बारे में जागृति पैदा करने की आई० ई० सी० प्रदर्शित की जायेगी।
- प्रत्येक कैम्प की विडीयोग्राफी होगी।

प्रत्येक स्वास्थ्य कैम्प में निम्न प्रकार चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ व कर्मचारियों की ड्यूटी होगी-

क्र. सं.	पद	स्टाफ संख्या	टिप्पणी
1	चिकित्सा अधिकारी	2	जिला स्तर से चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी स्वास्थ्य कैम्प में लगाई जायेगी।
2	पैरामेडिकल स्टाफ- जीएनएम	4	कम से कम एक महिला नर्स अवश्य हो
3	पैरामेडिकल स्टाफ- एलएचवी	1	स्वास्थ्य कैम्पों की व्यवस्था में सहायता तथा फेसिलिटेटर
4	पैरामेडिकल स्टाफ- लेब टेक्नीशियन	1	एच.बी. तथा ब्लड ग्रुप टेस्ट
5	पैरामेडिकल स्टाफ-एएनएम	4-5	ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों/पीएचसी/सीएचसी पर पद स्थापित एएनएम
6	वीडीयोग्राफर (Services on hire)	1	प्रत्येक कैम्प की विडीयोग्राफी होगी

3. तृतीय चरण—

गम्भीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था व हैल्थ कार्ड तैयार करना।
हैल्थ कार्ड :-


- पीएचसी/सीएचसी पर ओपीडी के अन्तर्गत आने वाले समस्त व्यक्तियों का हिमोग्लोबिन, ब्लड गुप, ब्लड प्रेशर, हाईट, वजन की जांच की जायेगी तथा चिकित्सक द्वारा क्लिनिक सिस्टम की पूछताछ के आधार पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर व अन्य बीमारियों की पहचान की जायेगी एवं उक्त बीमारी का यदि सम्भव हुआ तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा ओपीडी के अनुसार ईलाज किया जायेगा एवं उससे व्यक्तिगत हैल्थ कार्ड जारी किया जायेगा।
- पीएचसी/सीएचसी पर जांच के दौरान तथा हैल्थ कैम्पों में पहचान की गई बीमारी के ईलाज के लिए आवश्यकता अनुसार चिन्हित उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों अथवा चिन्हित निजी चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जायेगा उनका चिकित्सक द्वारा हैल्थ कैम्प के दौरान रोगी जांच हैल्थ कार्ड (Patient Examination Health Card) भरा जायेगा।
- विभाग द्वारा तैयार करवाये गये ऑनलाईन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हैल्थ कार्ड की ऑनलाईन एन्री की जायेगी। यह ऑनलाईन एन्री सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान, जहाँ बीमार व्यक्ति भर्ती है, के द्वारा की जायेगी तथा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के चिकित्सक द्वारा उस व्यक्ति को हैल्थ कार्ड जारी किया जायेगा।
- इस प्रक्रिया से अगले पाँच वर्षों में प्रदेश के अधिकतर नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (Electronic Medical Record - EMR) तैयार किया जा सकेगा। यह डेटा बेस भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा। यदि वह व्यक्ति पुनः उसी बीमारी अथवा अन्य बीमारी के ईलाज हेतु किसी भी चिन्हित अस्पताल में उपचार के लिए जाता है तो हैल्थ कार्ड के आधार पर उसका पूर्व का ऑनलाईन रिकॉर्ड देखकर चिकित्सक द्वारा इलाज प्रारम्भ किया जा सकता है।
- इसी समयावधि के दौरान, जो व्यक्ति स्वास्थ्य कैम्पों से रेफर हुए बिना सीधे ही अस्पताल में चिकित्सा परामर्श हेतु जाता है तथा उसका अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हैल्थ कार्ड जारी किया जाएगा तथा उनके स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अस्पताल द्वारा करवाई जायेगी।

4. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमार व्यक्तियों का ईलाज :-


- हैल्थ कैम्पों में रेफर किये गये उन व्यक्तियों को जिनको भर्ती कर ईलाज की आवश्यकता है तथा वे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी) हैं, उन्हें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत ईलाज प्रदान किया जायेगा।
- उक्त योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उससे उच्च समस्त सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज (तीस हजार से गम्भीर बीमारियों हेतु तीन लाख तक की राशि) किया जायेगा।
- इसी समयावधि के दौरान, जो व्यक्ति स्वास्थ्य कैम्पों से रेफर हुए बिना सीधे ही अस्पताल में चिकित्सा परामर्श हेतु जाता है तथा उसका अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हैल्थ कार्ड जारी किया जाएगा तथा उनके स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में अस्पताल द्वारा करवाई जायेगी।

एसे बीमार व्यक्ति जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी नहीं हैं तथा उनका उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों/राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जांच एवं उपचार के लिए दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं के अनुसार ही इलाज करवाया जावेगा।

आरोग्य राजस्थान योजना के संचालन का प्रस्तावित क्रियान्विति चार्ट



Functional Process Flow for Aarogya Campaign



CHC / SDH / DH / Med Coll Hosp / PHC / CHC / ANM / ASHA / IEC / JEEVA / Aarogya / Health / Insurance / Scheme / Beneficiary / Under / Health / Insurance / Scheme / Further / Investigations / Inpatient / Treatment / Health / Card / Issuing / Health / Card / by / Doctor / Online / Entry / of / Health / Card / at / Hospital / Inpatient / treatment / required / Provide / Benefit / under / Scheme / Provide / Treatment / Outside / Scheme

प्रदेश में आरोग्य राजस्थान योजना के संचालन की प्रस्तावित क्रियान्विति

क्र.स.	गतिविधि	दिनांक
1	प्रदेश में आरोग्य राजस्थान अभियान हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य कैम्पों (01.12.2015 से 31.03.2016 तक) की निम्न सूचनाएँ राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगे— <ul style="list-style-type: none"> • जिले में ब्लाकवार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या • ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पो का दिनांकवार कैम्प आयोजन का निर्धारण • ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्प में सम्भावित प्रतिभागियों की संख्या • जिले में ब्लाकवार कुल परिवारो की संख्या 	15.09.2015 से 22.9.2015
2	आरोग्य राजस्थान योजना के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों यथा—सरपंच,प्रधान,जिला प्रमुख,एम.एल.ए., एम.पी.,जिला प्रभारी मंत्री आदि के आमुखिकरण हेतु कैम्प (Orientation Camp)	23.09.2015 से 30.09.2015
3	<ul style="list-style-type: none"> • प्रदेश में आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे हेतु ब्लाक स्तर पर एएनएम व चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण व राज्य स्तर से प्रिन्टेड आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों तथा आई.ई.सी. सामग्री का वितरण • एएनएम द्वारा अपने क्षेत्र की आशाओ को उप स्वास्थ्य केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी पर आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र वितरण, प्रपत्र भरने हेतु दिशा निर्देश तथा भरे हुये प्रपत्र प्रति सप्ताह वापिस लौटाने की आशाओ को गाईड लाईन 	23.09.2015 से 30.09.2015
4	आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे अभियान— आशा सहयोगिनियों द्वारा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर परिवार प्रपत्र भरना	01.10.2015 से 20.11.2015
5	Online software development application by DoIT/RISL GoR for seeding family information from Arogya rajasthan swasthya survey formats (collected by ASHA)	25.09.2015 से 30.9.2015
6	एएनएम अपने क्षेत्र की आशाओं से भरे हुये प्रति सप्ताह सोमवार को प्राप्त आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र इकजाई कर परिवार मुखिया की व्यक्तिगत सूचना मय पहचान (आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र बिन्दु सख्या 01 से 10 तक की सूचना) ई-मित्र कियोस्क पर ऑनलाइन सीडिंग 7 दिन में आवश्यक रूप से पूर्ण करवायेगी तथा आरोग्य स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र की ऑनलाइन सीडिंग करने के पश्चात एएनएम उक्त प्रपत्र संबंधित पीएचसी/सीएचसी पर भिजवायेगी।	07.10.2015 से 25.11.2015
7	जिला स्तर से ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पो में पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों की ड्यूटी का निर्धारण	15.11.2015 से 25.11.2015
8	ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन— स्वास्थ्य कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित पीएचसी/सीएचसी पर तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी/सीएचसी स्थित नही होने पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केन्द्रों /उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।	01.12.2015 से 31.03.2016
9	हेल्थ कार्ड —राज्य सरकार द्वारा गम्भीर बीमारियों से पीडित व्यक्तियों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था व हेल्थ कार्ड तैयार करना	Continuous process

final

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान
आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्र (प्रति परिवार एक फार्म भरा जावे)

क्रमांक:

- ग्राम/वार्ड: ग्राम पंचायत/कस्बा ब्लॉक/शहर जिला
उप स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धित पीएचसी/सीएचसी का नाम
- मुखिया का नाम 3. मोबाइल नम्बर [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(भामाशाह कार्ड के अनुसार यदि भामाशाह कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड के अनुसार)
- भामाशाह कार्ड आईडी [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 5. भामाशाह कार्ड रसीद संख्या (यदि भामाशाह कार्ड नहीं बना है)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
लाभार्थी: (✓ सही का निशान लगायें) हाँ [] नहीं [] 7. राशनकार्ड आईडी [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
लाभार्थी: (✓ सही का निशान लगायें) हाँ [] नहीं [] 9. आरएसबीवाई कार्ड संख्या [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

10. परिवार के सदस्यों की जानकारी जो मुखिया के साथ रहते हैं

क्र. सं.	नाम	परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता (चैकलिस्ट से कोड अंकित करें)	लिंग	उम्र	बीमारी का नाम (चैकलिस्ट के अनुसार कोड भरें)	बीमारी के लक्षण (चैकलिस्ट के अनुसार कोड भरें)	आधार कार्ड नम्बर													
			पुरुष 1, स्त्री 2, अन्य 3 (कोड अंकित करें)	जन्म तिथि DD/MM/YYYY			[]	[]	[]	[]	[]	[]								
1		स्वयं																		
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				

11. क्या आपके परिवार में गर्भवती महिला है? हाँ [] नहीं [] यदि हाँ तो संख्या [] तथा गर्भवती महिला मॉनिटरिंग प्रपत्र भरें।
चैकलिस्ट: मुखिया से सम्बन्ध के कोड: 1. पत्नी/पति 2. पुत्र/पुत्री 3. दामाद/पुत्रवधु 4. पौत्र/पौत्री 5. भ्राता/भ्राता 6. सास/ससुर 7. पड़पौत्र/पड़पौत्री 8. नाती/नातिन 9. ब्लड रिलेशन के अलावा संबंध (यदि है तो लिखें)-

चैकलिस्ट - बीमारी का नाम

कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम
1	डायबिटीज (शुगर)	9	मिर्गी	16	फ्लोरोसिस	26	प्रोस्टेट का बढ़ना	32	विकलांगता - अंधता	37	विकलांगता - दृष्टि दोष
2	हाईब्लड प्रेशर	10	मोतिबाम्बु	17	हृदय रोग	27	हर्निया	33	विकलांगता - शारीरिक - अन्य कोई हो तो नाम लिखें	38	विकलांगता - शारीरिक - अन्य कोई हो तो नाम लिखें
3	कैंसर	11	आँख का काला मोतिबा/कालापानी -स्कोकोमा	18	अस्थमा/दमा	28	महिला-अनियमित मासिक धर्म	34	विकलांगता - मानसिक	39	टीबी
4	खून की कमी (एनीमिया)	12	कान का बढ़ना	19	सिलीकोसिस	29	महिला-असामान्य रक्तचाप	35	विकलांगता - शारीरिक - हाथ	40	नरो की लत - शराब
5	गठिया	13	रतीबी	20	लीवर की बीमारी	30	महिला-स्वत प्रदर (स्प्यूकेरिया)	36	विकलांगता - शारीरिक - पैर	41	नरो की लत - अफीम
6	कुष्ठ रोग	14	पायसिया (मसूँ में सड़न)	21	कुमि (पेट में कीड़े)	31	आर.टी.आई./एस.टी.आई.				
7	एकबीमा (त्वचा का रोग)	15	बाइपाइड सम्बन्धित	22	गुद की बीमारी						
8	कुपोषण			23	पथरी						
				24	पीलिया						
				25	बबासीर						

चैकलिस्ट - बीमारी के लक्षण

कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम	कोड	बीमारी का नाम
1	कम दिखाई देना	7	बलने में कठिनाई	11	पेशाब करने में बलन	16	कान का बढ़ना	20	लम्बे समय से कमर से शुककर चलना	24	लम्बे समय से सिर में दर्द
2	कम सुनाई देना	8	नीच नहीं आना	12	पेशाब करने में रुकावट	17	कान में दर्द	21	हाथों में कंपन	25	15 दिन से अधिक समय तक खासी
3	सांस लेने में कठिनाई	9	शरीर के किसी भी भाग पर असाधारण गठ	13	लम्बे समय से पेट दर्द	18	सामने वाले दातों में पीलापन	22	मूँह का पूर्ण रूप से नहीं खुलना	26	पैरों में सूजन
4	दातों में दर्द	10	शरीर के किसी भी भाग से नियमित खून का बहना	14	जन्यजात विकृति	19	रात को दिखाई नहीं देना	23	बच्चे को सामान्य रूप से सांस फूलना		
5	बोझों में दर्द			15	ताण आना						
6	कमर में दर्द										

प्रमाणितकर्ता आशा का नाम व हस्ताक्षर परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] दिनांक
..... यहाँ से काटें

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान
आमंत्रण पत्र

क्रमांक:

योजना का लाभ लेने हेतु आप आमंत्रण पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिन पश्चात् अपने स्वास्थ्य की जांच नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर करवाकर अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेवें अन्यथा आप ग्राम पंचायत पर लगने वाले स्वास्थ्य कैम्प में सम्मिलित होकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेवें।

स्वास्थ्य कैम्प का स्थान- दिनांक
आशा का नाम व हस्ताक्षर मय दिनांक- मोबाइल नम्बर [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम- भामाशाह कार्ड आईडी [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(यदि आपका भामाशाह कार्ड नहीं बना है तो योजना का लाभ लेने हेतु भामाशाह कार्ड अवश्य बनवा लेवें।)

Government of Rajasthan
Directorate of Medical and Health Services
Patient Health Examination Card
(For use by Doctor in Health Camp for Aarogya Campaign)

District _____ Health Camp Venue _____ Date _____
 Name of patient _____ Age (yrs) _____ Gender Male / Female / Other
 Bhamashah Card ID _____ Aadhaar No. _____ Insurance Status Insured / Not Insured
 RSBY Card No. _____

Diagnosis in Health Camp: _____

Present History:

Past History:

Personal History:

Family History:

Immunization History:

Common Allergy History:

Common Drug Allergy

In case of women:

Menstrual History:

Obstetric History

Clinical Examination:

Treatment advised:

Pulse Rate

Resp. Rate

Temp (°C)

Height (cm)

Weight (kg)

BP

Observations on clinical examination



Investigations

Hb

Blood Group

Further investigations required at higher Health Institute?

Yes / No

Hospitalized treatment required?

Yes / No

If yes, Disease / Health condition covered under State Health Insurance Scheme?

Yes / No

Referred to hospital for hospitalized treatment/intervention for rehabilitation

Yes / No

(Caliper, Tricycle, hearing aids, spectacles)

If yes, name of Referral Hospital _____

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name & designation of Doctor:

Cover Page



फोटो

राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्तिगत हैल्थ कार्ड

व्यक्ति का नाम
पति/पिता का नाम
जन्म तिथि
उम्र
लिंग
ब्लड ग्रुप
पता
हाउस नम्बर
गाँव/कॉलोनी का नाम
गली/मौहल्ले का नाम
पोस्ट ऑफिस
ब्लॉक/वार्ड
जिला
पिन कोड
मोबाईल नम्बर
पहचान
भामाशाह कार्ड आईडी
आधार कार्ड संख्या
राशन कार्ड संख्या
आरएसबीवाई कार्ड संख्या
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लाभार्थी है अथवा नहीं

११७ -
→

**Government of Rajasthan
Directorate of Medical and Health Services
Personal Health Card**

Date _____

Diagnosis in Health Camp: _____

Present History:

Past History:

Personal History:

Family History:

Immunization History:

Allergy History:

In case of women:

Menstrual History:

Obstetric History

Clinical Examination:

Treatment advised:

Pulse Rate

Resp. Rate

Temp (°C)

Height (cm)

Weight (kg)

BP

Observations on clinical examination



Investigations

Hb

Blood Group

Place: _____

Signature: _____

Date: _____

Name & designation of Doctor:

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान
परिवार में गर्भवती महिलाओं से संबंधित सूचना की सूची
(आशा द्वारा यह सूची अपने क्षेत्र की एएनएम को प्रस्तुत करेगी)

ग्राम.....

आगन बाडी केंद्र का कोड.....

ग्राम पचायत.....

उप केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी का नाम

संबंधित पीएचसी/सीएचसी का नाम.....

ब्लाक.....

क. सं.	नाम	पति का नाम	उम्र	संतान का विवरण		गर्भावस्था की अवधि	संभावित प्रसव दिनांक
				पुत्र	पुत्री		
1							
2							
3							
4							

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

(एएनएम द्वारा आशा सहयोगिनियों को मानदेय राशि के भुगतान का विवरण)

जिला: ब्लॉक: पीएचसी / सीएचसी का नाम: उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:

क्र. सं.	गाँव/डाणी का नाम	आशा सहयोगिनी का नाम	क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या	सर्व किये गये परिवारों की कुल संख्या	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया जाना है	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया गया	हस्ताक्षर आशा सहयोगिनी
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
कुल							

दिनांक:

एएनएम नाम व हस्ताक्षर:

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

(पीएचसी/सीएचसी क्षेत्र में आशा सहयोगिनियों को मानदेय राशि के भुगतान का विवरण)

जिला: ब्लॉक: पीएचसी/सीएचसी का नाम:

क्र. सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या	सर्वे किये गये परिवारों की कुल संख्या	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया जाना है	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया गया
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
कुल					

दिनांक: चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर:

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

(ब्लॉक में आशा सहयोगिनियों को मानदेय राशि के भुगतान का विवरण)

जिला:

ब्लॉक:

क्र. सं.	पीएचसी/सीएचसी का नाम	क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या	सर्वे किये गये परिवारों की कुल संख्या	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया जाना है	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया गया
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
कुल					

दिनांक: ब्लॉक सी0एम0ओ0 का नाम व हस्ताक्षर:

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

(जिले में आशा सहयोगिनियों को मानदेय राशि के भुगतान का विवरण)

जिला:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या	सर्वे किये गये परिवारों की कुल संख्या	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया जाना है	मानदेय राशि जिसका भुगतान किया गया
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	कुल				

दिनांक:

सी०एम०एच०ओ० का नाम व हस्ताक्षर:

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

उपकेन्द्रवार बीमार व्यक्तियों की सूची

(आशा सहयोगिनियों द्वारा भरे गये प्रपत्रों में से क्षेत्र के परिवारों में बीमार व्यक्तियों की इकजाई सूची)

जिला: ब्लॉक: पीरवसी/सीरवसी का नाम: उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:

क्र. सं.	गाँव/डाणी का नाम	बीमार व्यक्ति की जानकारी					
		बीमार व्यक्ति का नाम	लिंग	उम्र	आधार कार्ड नम्बर/EID No.	बीमारी का नाम (कोड भरे)	बीमारी के लक्षण (कोड भरे)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

दिनांक

एएनएम नाम व हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान

पीएचसी/सीएचसी क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंम्प के आयोजन हेतु चैकलिस्ट

जिला: ब्लॉक: पीएचसी/सीएचसी का नाम:
ग्राम पंचायत का नाम: उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:

i. कैंम्प का स्थान:

ii. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता (संख्या लिखें):

- चिकित्सा अधिकारी:
- पैरामेडिकल स्टाफ- जीएनएम:
- पैरामेडिकल स्टाफ- एलएचवी:
- पैरामेडिकल स्टाफ- लेब टेक्नीशियन:
- पैरामेडिकल स्टाफ-एएनएम:

iii. शिविर व्यवस्था (संख्या लिखें):

- टैण्ट: हॉ/नहीं
- टेबल मय कवर:
- कुर्सियाँ:
- पानी की टंकी:
- पंखे:
- पानी का टैंकर:
- बैनर:
- अन्य:

iv. बीमार व्यक्तियों की सूची: हॉ/नहीं

v. उपकरण:

- Stethoscope: Yes / No No.: _____
- BP Instrument: Yes / No No.: _____
- Weighing Machine: Yes / No No.: _____
- Inch Tape: Yes / No No.: _____
- Thermometer: Yes / No No.: _____
- Hemoglobinometer: Yes / No No.: _____

vi. अन्य सामग्री:

- Slides: Availability: Yes / No Adequate: Yes / No
- Blood Grouping Reagents: Availability: Yes / No Adequate: Yes / No
- N/10 HCl (for Hb estimation): Availability: Yes / No Adequate: Yes / No
- Needles: Availability: Yes / No Adequate: Yes / No

vii. स्वास्थ्य जॉच कार्ड: हॉ/नहीं

दिनांक: चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का नाम व हस्ताक्षर:

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services

Summary Report of Health Camps Organized in PHC / CHC Area

District: _____ Block: _____

CHC / PHC: _____

Reporting Period: From _____ to _____

Date	Name of Gram Panchayat	Venue of Health Camp	Expected no. of patients*	No. of patients treated in Health Camp			Total	Expenditure Incurred on Health Camp (Rs.)
				As OPD patients	Referred to higher hospital For Investigation	For Treatment		
TOTAL								

* As per list from ANM

Date: _____

Signature of Medical Officer Incharge : _____
Name of Medical Officer Incharge : _____

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services

Block-wise Summary Report of Health Camps Organized

District: _____ Block: _____

Reporting Period: From _____ to _____

S. No.	Name of CHC / PHC	No. of Health Camps Organized	Expected no. of patients*	No. of patients treated in Health Camp			Expenditure Incurred on Health Camps (Rs.)
				As OPD patients	Referred to higher hospital For Investigation	For Treatment	
TOTAL							

Date: _____

Signature of Block CMO : _____
Name of Block CMO : _____

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services

District Summary Report of Health Camps Organized

District: _____ Reporting Period: From _____ to _____

S. No.	Name of Block	No. of Health Camps Organized	Expected no. of patients *	No. of patients treated in Health Camp		Total	Expenditure Incurred on Health Camps (Rs.)
				As OPD patients	No. of patients referred to higher hospital		
				For Investigation	For Treatment		
TOTAL							

Date: _____

Signature of Dy CMHO (Health) : _____
Name of Dy CMHO (Health) : _____